भूतपूर्व शासकों की आस्तियां

846. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व शासकों की आस्तियों की जांच की जा चुकी है;

(ख) क्या इस जांच में हैदराबाद के निजाम की आस्तियां भी सम्मिलित हैं;

(ग) यदि हां, तो उस जांच का परिणाम क्या निकला और आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि ऐसी कोई जांच नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार को कुछ अन्य पूर्व-शासकों की आस्तियों के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो वे शासक कौन-कौन से हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जिन भूतपूर्व शासकों का धन-कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत धन-कर निर्धारण किया गया था उन सभी के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। जो शासक तथा जिन शासकों की पत्नियां धन-कर निर्धारिती हैं और जिन्होंने 20 लाख रुपये या उससे अधिक वास्तविक धन की विवरणियां दायर की अथवा जिनका कर-निर्धारण 20 लाख रुपये या उससे अधिक वास्तविक धन का किया गया, उनकी संख्या 31-3-66को57 है।

(ख) से (घ). हैदराबाद के निजाम का भी धन-कर निर्धारण किया गया। उसकी कर-निर्धारण वर्ष 1960-61 के लिए कर-निर्धारण योग्य सम्पत्ति का ब्यौरा निम्न-प्रकार है :—

(1) अचल परिसम्पद	1,51,85,454
(2) नकद और बैंक जमा	11,69,829
(3) शेयर तथा प्रतिभूतियां	4,74,24,534
(4) जेवरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं	1,13,75,390
(5) अन्य परिसम्पद	2,52,12,490
(6) जोड़	10,03,67,697
(7) घटाइए—ऋण तथा अन्य देनदारियां	1,80,94,050
(8) कर निर्धारित वास्तविक-धन	8,22,73,647

1961-62 तथा बाद के वर्षों के कर निर्धारण सम्बन्धी जांच अभी भी चल रही है।

(ङ) और (च). देश के भिन्न-भिन्न धन-कर परिमण्डलों से इस सूचना को इकट्ठा करने में काफी समय तथा श्रम लगेगा। जब कभी कोई सूचना प्राप्त होती है तो कर-निर्धारण पूरा करते समय उस सूचना की जांच की जाती है।

भारत सेवक समाज

847. **श्री शशि भूषण बाजपेयी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों के समाज कल्याण विभागों को ये निदेश दिये हैं कि वे भारत सेवक समाज को और सहायता न दें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत सेवक समाज को अब तक दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?